Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road
Kolkata – 700 001

Serial Circular No. 144/2016

No. E.685/0/Pt.VI/1 **Kolkata, Dated: 17/11/2016**

ALL CONCERNED
(As per the standard List)

Sub: Extension to the arrangement relating to provision of reimbursement of expenditure incurred on the Dental treatment by Railway beneficiaries.

*****

Following copy of Railway Board's letter No. **2016/H-1/25/1/Dental/Policy dated 26.09.2016** is forwarded herewith for information and guidance. Board's earlier letter dated 13/10/2014 referred to therein was circulated under this office **Serial No.133/2014**.

DA: Hindi version.

(**S. Chakraborty**)
Sr. Personnel Officer/BGB
For Chief Personnel Officer
Phone No. 24115

Copy of Board's letter No. **2016/H-1/25/1/Dental/Policy dated 26.09.2016** addressed to the GMs/All Zonal Railways & others.

Sub: Extension to the arrangement relating to provision of reimbursement of expenditure incurred on the Dental treatment by Railway beneficiaries.

Ref: Board's letter no.2012/H-1/12/1/Dental/Policy dated 13.10.2014

*****

Sanction of the Ministry of Railways has been accorded for the arrangement relating to provision of reimbursement of expenditure incurred on the Dental treatment by Railway beneficiaries and the last sanction was for a period upto 11.09.2016 vide this office letter of even no. dated 13.10.2014 on the same terms and conditions.

Ministry of Railways have now decided to extend the aforesaid arrangement, further for a period of one year from 12.09.2016 till 11.09.2017.

"However, this facility would stand withdrawn automatically in case any Railway hospital/health unit is provided with part time/ full time dental surgeon and infrastructure facilities."

Contd...

Contd. from pre-page

It may be ensured that re-imbursement may be made to CGHS approved dental procedures and rates only and Zonal Railway may reimburse the expenditure incurred on other dental procedures which are not included in CGHS list, if done at the nearest Government Dental College/ Hospital as per charges levied by such institutions (this should not include material and lab charges from outsourced private agencies). In all cases whose re-imbursement has been sanctioned beyond the prescribed condition, responsibility may be fixed at railway's level, without fail, in each case.

This issues with the concurrence of the Finance Dte. of the Ministry of Railways.

Sd/-(Dr. Praval Pant)
Director/IH
Railway Board

INDEX No.1049: Provision for reimbursement of expenditure incurred on the Dental treatment by Railway beneficiaries, has further been extended for a period of one year from 12.09.2016 till 11.09.2017.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2016/एच-1/25/1/डेन्टल/पॉलिसी नई दिल्ली, दिनांक 26.09.2016

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),
सभी भारतीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक, अ. अ. एवं मा. सं., लखनऊ
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू एवं आरडब्ल्यूपी।

विषय: रेलवे लाभार्थियों द्वारा दंत चिकित्सा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यवस्था की अवधि बढ़ाना।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 13.10.2014 का पत्र संख्या 2012/एच-1/12/1/डेन्टल/पॉलिसी ।

रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे लाभार्थियों द्वारा दंत चिकित्सा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यवस्था की स्वीकृति दी गई है। इस कार्यालय के दिनांक 13.10.2014 के समसंख्यक पत्र के तहत समान अनुबंध एवं शर्तों पर पिछली स्वीकृति 11.09.2016 तक की अवधि के लिए दी गई थी।

रेल मंत्रालय ने अब उक्त व्यवस्था को 12.09.2016 से 11.09.2017 तक एक वर्ष की अवधि के लिए पुन: बढ़ाने का निर्णय लिया है।

"बहरहाल, यदि किसी रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाई में अंशकालिक/पूर्णकालिक दंत शल्य-चिकित्सक और अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं तो यह सुविधा स्वत: समाप्त हो जाएगी।"

यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिपूर्ति केवल सीजीएचएस द्वारा अनुमोदित डैंटल प्रोसिजर एवं दरों पर ही की जाती है। और क्षेत्रीय रेलें निकटवर्ती सरकारी डैंटल कॉलेजों/अस्पतालों में कराए गए अन्य डैंटल प्रोसिजर, जो सीजीएचएस की सूची में शामिल नहीं है, पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति उन संस्थानों द्वारा लगाए गए प्रभारों (इसमें सामग्री और आउटसोर्स की गई प्राइवेट एजेंसियों के प्रयोगशाला प्रभार शामिल नहीं होने चाहिए) के अनुसार करें। ऐसे सभी मामलों, जिनमें निर्धारित शर्त से बाहर जाकर प्रतिपूर्ति स्वीकृत की गई हो, में प्रत्येक मामले में निश्चित तौर पर रेलवे स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

प्रवल पंत

(डॉ. प्रवल पंत)
निदेशक/आई एच
रेलवे बोर्ड

सं. 2016/एच-1/25/1/डेन्टल/पॉलिसी नई दिल्ली, दिनांक 26.09.2016

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/ सभी भारतीय रेलें एवं सभी उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें एवं सभी उत्पादन इकाइयां।
3. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रति: उप निदेशक वित्त (स्था.)1 एवं वित्त (स्था.) विशेष, रेलवे बोर्ड

DENTAL POLICY